



594/2026

गहलवारा

संगीता डबल
दाखिल (अति)

I वाद सं. 08149/26

II " - 15912-26

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460508149
वाद संख्या:- 8149/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम संगीता पाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

वाद सं०-

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 594स का कुल रकबा 0.0830 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0096 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती संगीता पाल पत्नी मनोज पाल निवासी गहलवारा लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जाय- 594
गहलवारा

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460500499

वाद संख्या:- 499/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम मनोज कुमार श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 18/03/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00222 गाटा संख्या 594 रकबा 0. 3290 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0097 हे० अपना सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्रीमती मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव निवासी-कैलाश स्टेट-1 बरावन कलां रोड, नजदीक मछली मंडी, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 20. 11.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



पत्रावली - 594
21 हजार

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460500499

वाद संख्या:- 499/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम मनोज कुमार श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 18/03/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00222 गाटा संख्या 594 रकबा 0. 3290 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0097 हे० अपना सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्रीमती मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव निवासी-कैलाश स्टेट-1 बरावन कलां रोड, नजदीक मछली मंडी, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 20. 11.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अनूप कुमार श्रीवास्तव
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460519533
वाद संख्या:- 19533/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सूरज पाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 12/06/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2026 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व सादे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित संलग्न है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00218 गाटा संख्या 595 स रकबा 0.5060 हे० में से रकबा 0.2150 हे०, गाटा संख्या 594 स रकबा 0.2530 हे० में से रकबा 0.2530 हे०, कुल रकबा 0.7590 हे० में से विक्रीत रकबा 0.4680 हे०, अपना सम्पूर्ण अंश मा० गु० 60ख से विक्रेता श्री सूरज पाल पुत्र भगवानदीन निवासी-गहलवारा, काकोरी, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारोत्तरण योजनान्तर्गत वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2026 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अनूप कुमार श्रीवास्तव
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460519205
वाद संख्या:- 19205/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम शोभिता सक्सेना
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 12/06/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व सादे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00222 गाटा संख्या 594 रकबा 0.3290 हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.0092 हे०, मा०गु० 60' से विक्रेता श्रीमती शोभिता सक्सेना पत्नी राजेश कुमार सक्सेना निवासी-फैजाबाद रोड, निकट गुप्ता आटा चक्की, शक्तिनगर, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"